माननीय न्यायमूर्ति जी.सी.मित्तल के समक्ष

शांति और अन्य - अपीलकर्ता।

बनाम

श्रीमती. भगवानी और अन्य प्रतिवादी।

1983 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 472।

14 फ़रवरी 1984.

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (1925 का XXXIX - धारा 107 और 109 - वसीयतकर्ता के दो पुत्रों के पक्ष में वसीयत - वसीयतकर्ता में से एक की वसीयतकर्ता के जीवन काल में मृत्यु हो जाती है - ऐसे वसीयतकर्ता के पक्ष में अनुरोध - चाहे विरासत में मिले वसीयतकर्ता की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों द्वारा - धारा 109 में 'कोई भी बच्चा' शब्द - चाहे केवल एक बच्चा हो या बच्चे भी।

यह माना गया कि जब वसीयतकर्ता विशेष रूप से अपने कुछ बच्चों को बाहर कर देता है और चाहता है कि उसकी संपत्ति शेष बच्चों को मिल जाए, तो उसका वास्तव में क्या मतलब है कि यह उनके पास जाना चाहिए और यदि उनमें से कोई भी उससे पहले मर जाता है तो यह उत्तराधिकारियों के पास जाना चाहिए पूर्व मृत बच्चे के लिए और ठीक उसी मामले के लिए प्रावधान किया गया था

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 109 में कहा गया है कि कानून की कल्पना से ऐसे पूर्व मृत बच्चे को वसीयतकर्ता की मृत्यु के तुरंत बाद मर गया माना जाएगा ताकि पूर्व मृत बच्चे के उत्तराधिकारियों को वसीयत का लाभ मिल सके और उसकी योग्यता हो सके। शेयर करें यह लुप्त नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों को विरासत से बाहर करने से पता चलता है कि वसीयतकर्ता का कभी इरादा नहीं था कि उसकी संपत्ति का कोई भी हिस्सा उनके पास चला जाए और यदि अधिनियम की धारा 109 लागू नहीं होती है तो पूर्व मृत बच्चे को दी गई विरासत वापस वसीयतकर्ता के पास वापस आ जाएगी। और उसके सभी बच्चे भी वही साझा

करेंगे। नतीजा यह होगा कि जिन बच्चों को वह कभी सफल नहीं होना चाहता था वे कुछ हद तक सफल हो जायेंगे। इस परिणाम से बचने के लिए, अधिनियम की धारा 109 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि जब भी किसी बच्चे या अन्य वंशजों के पक्ष में वसीयतनामा बनाया जाता है, तो उनके उत्तराधिकारियों को सफल होना चाहिए यदि वे वसीयतकर्ता को इस कल्पना के आधार पर पहले ही मरवा दें कि बच्चे की मृत्यु हो गई है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के तुरंत बाद।

(पैरा 10).

श्री ए.पी. चौधरी, जिला न्यायाधीश, रोहतक के न्यायालय के दिनांक 22 नवंबर, 1982 के आदेश से नियमित द्वितीय अपील, श्री जी.एल. गोयल, उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, झज्जर के दिनांक 4 अगस्त के फैसले की पुष्टि करते हुए। , 1982, वादी के मुकदमे को खारिज करते हुए पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

पी. एस. जैन, वरिष्ठ वकील एस. के. जैन, अपीलकर्ता के वकील।

प्रतिवादी संख्या 3 के लिए यू. डी. गौड़, अधिवक्ता, आर. एस. चाहर, अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय न्यायाधीश गोकल चंद मित्तल

(1) क्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 109 में प्रयुक्त 'कोई भी बच्चा' शब्द का अर्थ "केवल एक बच्चा" है या इसका मतलब "बच्चे" भी हो सकता है, जैसा भी मामला हो, इस दूसरे में शामिल मुख्य बिंदु है निवेदन।

(2)रघुनाथ की पत्नी, दो बेटे और पांच बेटियां थीं। उन्होंने अपने बेटों ईश्वर और राम किशन के पक्ष में वसीयत की। राम किशन ने अपनी विधवा और एक बेटी को छोड़कर अपने पिता की पहले ही मृत्यु कर दी थी। 1977 में रघुनाथ की मृत्यु हो गई। रघुनाथ की विधवा, चार बेटियों

और 5वीं बेटी के बच्चों ने संपत्ति के आधे हिस्से पर उत्तराधिकार का दावा करने के लिए वर्तमान मुकदमा इस आधार पर दायर किया कि चूंकि राम किशन के वसीयतकर्ता ने वसीयतकर्ता को पहले ही मृत कर दिया था, इसलिए धारा के तहत आधा हिस्सा रघुनाथ की संपत्ति में वापस आ गया। भारतीय के 107

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित), और, इसलिए, वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार उस आधे हिस्से में हिस्सेदारी के हकदार थे। राम किशन की विधवा और बेटी ने मुकदमा लड़ा और दलील दी अधिनियम की धारा 109 लागू थी न कि धारा 107। इस आधार पर उनके द्वारा यह दलील दी गई कि राम किशन को दी गई वसीयत समाप्त नहीं हुई और कानून की कल्पना से यह प्रभावी हो गया जैसे कि वसीयतकर्ता की मृत्यु वसीयतकर्ता की मृत्यु के तुरंत बाद हुई हो। प्रतिवादियों की याचिका निचली दोनों अदालतों में स्वीकार की गई और परिणामस्वरूप मुकदमा खारिज कर दिया गया। यह वादी की दूसरी अपील है।

(3) वादी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. जैन ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 109 केवल तभी लागू होगी जब वसीयत किसी बच्चे या वसीयतकर्ता के अन्य वंशज को की जाती है, और यदि वसीयत दो बच्चों को की जाती है या दो वंशजों के लिए, तो अधिनियम की धारा 109 लागू नहीं होगी और केवल अधिनियम की धारा 107 लागू होगी। जब तक कि विरासत संयुक्त रूप से नहीं बनाई गई हो, उस स्थिति में अधिनियम की धारा 106 लागू होगी। इस आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 107 लागू थी और चूंकि वसीयत करने वालों में से एक की मृत्यु वसीयतकर्ता से पहले हो गई थी, इसलिए उस वसीयतकर्ता का हिस्सा वसीयतकर्ता की संपत्ति के अवशेष के अंतर्गत आएगा और उत्तराधिकार पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विचार किया जाना था। 1956.

(4) तर्क का खंडन करते हुए, श्री यू.डी. गौड़, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 109 अधिनियम की धारा 105 से 108 का अपवाद है, क्योंकि जब भी किसी बच्चे के पक्ष में

कोई वसीयत की जाती है तो अधिनियम की धारा 109 लागू होगी। या वसीयतकर्ता के बच्चे या वंशावली वंशज या वसीयतकर्ता के वंशज या उनमें से दोनों, जबकि यदि वसीयतकर्ता वसीयतकर्ता के बच्चे या वंशावली वंशजों के अलावा अन्य हैं, तो अधिनियम की धारा 105 से 108 के प्रावधान लागू होंगे। उन्होंने आगे आग्रह किया कि अधिनियम की धारा 109 की व्याख्या में सामान्य खंड अधिनियम में निहित प्रावधान के आधार पर एकवचन में बहुवचन को शामिल किया जाएगा, जब तक कि अनुभाग में इसके विपरीत इरादा नहीं पाया जाता है, जो वहां नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 'कोई भी बच्चा' शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वसीयतनामा बच्चों में से किसी एक के लिए नहीं बल्कि 'किसी भी बच्चे' के लिए होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह एक से अधिक बच्चों या सभी बच्चों के लिए हो सकता है।

(5) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि निचली अदालतों ने वर्तमान मामले के तथ्यों पर अधिनियम की धारा 109 को सही ढंग से लागू किया है।

(6) श्रीमती. गीता देवी बनाम श्रीमती. मुंदर देवी, (1) एकमात्र रिपोर्ट किया गया निर्णय है जो इस अपील में शामिल बिंदु पर मेरे ध्यान में लाया गया है। इस मामले में वसीयत दो बेटियों के पक्ष में की गई थी, जिनमें से एक की वसीयतकर्ता की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन उसने एक मुद्दा छोड़ दिया था। उन तथ्यों पर बनर्जी, जे. द्वारा यह माना गया कि अधिनियम की धारा 109 लागू थी, न कि अधिनियम की धारा 107 और कानून की कल्पना के अनुसार यह माना गया कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के तुरंत बाद बेटी की मृत्यु हो गई और इस तरह से जिस बेटी के पिता की मृत्यु पहले हो चुकी हो, उसके संबंध में वसीयत को समाप्त नहीं होने दिया गया और उसका लाभ पूर्व-मृत बेटी के वंशजों को दिया गया। ऐसा करने के कारण फैसले के पैरा 15 से 18 में निहित हैं जिनसे मैं सहमत हूं। इसी निष्कर्ष पर पहुंचने के अतिरिक्त कारण इस प्रकार हैं।

(7) पुरुषों का प्राकृतिक उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 द्वारा शासित होता है, जिसे अनुसूची के साथ पढ़ा जाता है और वर्ग-1 के उत्तराधिकारियों में बेटा,

बेटी, विधवा, मां शामिल हैं; पूर्व मृत पुत्र के बच्चे; पूर्व-मृत बेटी के बच्चे, पूर्व-मृत बेटे की विधवा इत्यादि। इससे पता चलता है कि यदि कोई बेटा या बेटी अपने पिता की पूर्व-मृत्यु कर देते हैं, तो प्राकृतिक उत्तराधिकार के तहत, पूर्व-मृत बेटे या बेटी का हिस्सा, जैसा भी मामला हो, उनके बच्चों को मिलता है। अत: प्राकृतिक उत्तराधिकार के अंतर्गत संतान या संतान वंश को बराबर का हिस्सा मिलता है। इसी तरह का प्रावधान इसी अधिनियम की धारा 15(1)(ए) में निहित है जब उत्तराधिकार एक महिला को मिलता है। ऐसी महिला के पूर्व-मृत पुत्र या पुत्री के बच्चे/जीवित बच्चों के साथ-साथ उनके पिता या माता का उचित हिस्सा। महिला। अधिनियम की धारा 109 उत्तराधिकार के उसी नियम को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियमित की गई थी, जब भी वसीयत किसी बच्चे या अन्य वंशजों के पक्ष में निष्पादित की गई थी और यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 105 से 108 के सामान्य प्रावधानों का अपवाद है।

(8) उदाहरण के लिए, यदि वसीयतकर्ता अपने सभी बच्चों के पक्ष में वसीयत निष्पादित करता है, जो वसीयत के निष्पादन के समय जीवित थे, लेकिन उनमें से एक या अधिक की उसके जीवन काल के दौरान मृत्यु हो गई और यदि अधिनियम की धारा 109 लागू होती है। लागू नहीं किया जाना था और अधिनियम की धारा 107 को लागू किया जाना था, परिणामी प्रभाव यह होगा कि पूर्व-मृत बच्चे या बच्चों की पंक्ति को इस तथ्य के बावजूद, मृतक की संपत्ति में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने से बाहर रखा जाएगा। कि वसीयतकर्ता अपने प्रत्येक बच्चे को बराबर हिस्सा देना चाहता था। लेकिन अगर एक्ट की धारा 109 लागू होती है तो हर लाइन को बराबर हिस्सा मिलेगा. वही परिणाम, मामले में प्रवाहित होगा

(1) ए.आई.आर. 1980 सभी. 372.

वसीयतकर्ता ने कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी। मेरे विचार से संसद चाहती थी कि प्राकृतिक उत्तराधिकार और वसीयतनामा उत्तराधिकार के मामले में समान परिणाम सामने आएं।

(9) यदि किसी दिए गए मामले में वसीयतकर्ता के दो बच्चे हैं, ए और बी। एक दिन वह एक वसीयत निष्पादित करता है जिसके द्वारा वह अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा 'ए' के पक्ष में करता

है और शेष के लिए वह वसीयत में कोई प्रावधान नहीं करता है। . इसके कुछ समय बाद वह दूसरी वसीयत निष्पादित करता है। उस वसीयत में वह पिछली वसीयत के निष्पादन को नोटिस करता है और उस वसीयत को बनाए रखता है और जोड़ता है कि उसकी संपत्ति का शेष आधा हिस्सा उसके दूसरे बच्चे 'बी' को जाएगा। A और B दोनों के बच्चे हैं। दो वसीयतों के निष्पादन के बाद, 'ए' की मृत्यु हो जाती है। अपीलकर्ताओं के वकील ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि चूंकि पहली वसीयत के तहत एक बच्चे के लिए वसीयत थी, जो अधिनियम की धारा 109 के मद्देनजर 'ए' के वंशजों के पक्ष में अभी भी प्रभावी होगी। उन्होंने इस आधार पर स्वीकार किया कि यह एक वसीयत का मामला था और एक बच्चा वसीयतकर्ता था। हालाँकि, वह इस बात से सहमत नहीं थे कि यदि एक ही वसीयत द्वारा समान संपत्ति £A' और 'B' के पक्ष में तैयार की जाती है, तो अधिनियम की धारा 109 लागू होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 107 लागू होगी। हालाँकि, मैं दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और न ही संसद कोई अंतर करना चाहती थी कि दोनों स्थितियों में अलग-अलग परिणाम आएं। यदि अधिनियम की धारा 109 को दोनों बच्चों के पक्ष में एक वसीयत के मामले में लागू नहीं किया जाना था, तो उस स्थिति में जिस बेटे के पिता की मृत्यु पहले नहीं हुई थी, उसे वसीयत के तहत आधा हिस्सा मिलेगा और शेष आधे में से आधा हिस्सा मिलेगा। प्राकृतिक उत्तराधिकार के आधार पर अर्थात अपने पिता की संपत्ति में से 3/4 हिस्सा और पूर्व-मृत पुत्र की वंशावली में से 1/4 हिस्सा मिलेगा। मेरा सुविचारित विचार है कि संसद का वास्तव में मतलब यह था कि जब भी वसीयतनामा 'किसी बच्चे' या अन्य वंशजों के पक्ष में हो तो एक परिणाम आना चाहिए। इसका यह इरादा कभी नहीं हो सकता कि एक लाइन को 3/4वां हिस्सा मिलने और दूसरी लाइन को 1/4वां हिस्सा मिलने से गैर-उचित परिणाम का प्रवाह होना चाहिए।

(10) मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 'कोई भी बच्चा' शब्द में बहुवचन भी शामिल है। अधिनियम की धारा 109 विशेष रूप से बनाई गई थी, जब भी वसीयत किसी बच्चे या वसीयतकर्ता के बच्चों के पक्ष में या अन्य वंशावली वंशज या वसीयतकर्ता के वंशजों के पक्ष में थी, जबकि

अधिनियम की धारा 105 से 108 अन्य व्यक्तियों पर वसीयत के संबंध में लागू होती थी। बच्चों और अन्य वंशजों की तुलना में। अधिनियम की धारा 105 से 108 में सभी प्रावधान किए गए हैं और किसी के अपने बच्चों या पोते-पोतियों के मामले में उन्हें प्रदान करना आवश्यक नहीं था। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं, लेकिन वह अपनी संपत्ति उनमें से केवल कुछ के पक्ष में करने का इरादा रखता है, एक या दो हो सकते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यदि वसीयत उनमें से केवल एक के पक्ष में थी और यदि उसके पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है, तो उसके बच्चों को अधिनियम की धारा 109 के मद्देनजर वसीयत का लाभ मिलेगा। मेरे विचार से, यह परिणाम तब भी आना था जब वसीयत दो या अधिक बच्चों के पक्ष में हो, लेकिन सभी बच्चों के पक्ष में नहीं। सभी बच्चों के पक्ष में वसीयत के संबंध में ऊपर चर्चा की जा चुकी है। यहां जहां इच्छा सभी के पक्ष में नहीं बल्कि कुछ के पक्ष में है तो देखना होगा कि नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा यह होगा कि जिन बच्चों को वह कभी सफल नहीं होना चाहता था वे कुछ हद तक सफल हो जायेंगे। इस परिणाम को रोकने के लिए, अधिनियम की धारा 109 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि जब भी किसी बच्चे या अन्य वंशजों के पक्ष में वसीयतनामा बनाया जाता है, तो उनके उत्तराधिकारियों को सफल होना चाहिए यदि वे वसीयतकर्ता को इस कल्पना पर पहले ही मरवा दें कि बच्चे की मृत्यु जल्द ही हुई थी। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद.

(11) उपरोक्त सभी कारणों से मेरा मानना है कि अधिनियम की धारा 109 इस मामले पर लागू होती है और यह माना जाना चाहिए कि राम किशन की मृत्यु वसीयतकर्ता रघुनाथ की मृत्यु के तुरंत बाद हुई, जिसके परिणामस्वरूप वसीयत राम किशन के पक्ष में हुई। चूक नहीं हुई और वह अपनी विधवा और बच्चे के पक्ष में जीवित रहा जो इस मामले में प्रतिवादी हैं और वादी इसमें किसी भी हिस्से का दावा नहीं कर सकते।

(1) ऊपर दर्ज कारणों से, यह अपील निराधार है और खारिज की जाती है। चूंकि कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल था, इसलिए पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
पलवल, हरियाणा